तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिक्री/टीए/1508/2003/उदयपुर** **भवानीसिंह बनाम शेरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री हरीशंकर गोयल, सदस्य श्री गणेश कुमार, सदस्य उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी। श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से। —— आदेश दिनांकः 03—09—2021 1— प्रस्तुत प्रकरण में वादी भवानीसिंह वगैरह ने उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के समक्ष घोषणा खातेदारी हेतु दावा पेश किया जो गुंणावगुण पर निर्णित करते हुए वाद दिनांक 10—06—98 को खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहॉ अपील पेश की गई जो दिनांक 28—11—2002 को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई। उक्त निर्णय दिनांक 28—11—2002 के विरूद्ध मौजूदा अपील पेश की गई है। 2— दौराने अपील अपीलार्थी भवानीसिंह व गुलाबकंवर के फौत हो जाने के कारण उनके वारिसान की ओर से उन्हें रेकार्ड पर लिए जाने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम व अपील अबेटमेंट निरस्त किए जाने के साथ अलग अलग 5 प्रार्थना पत्र पेश किए गए। 3— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक 17—07—19, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक 19—02—2020 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 (9) सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक 27—01—2021 एवं प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन किए जाने बाबत् दिनांक 19—02—20 व दिनांक 27—01—2021 पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। 4— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के वारिसान ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17—07—19 को अपीलार्थी भवानीसिंह के देहान्त की सूचना पर उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने के लिए आवेदन पेश किया था, जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया था और देरी का कारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिक्री/टीए/1508/2003/उदयपुर** **भवानीसिंह बनाम शेरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वारिसान को जानकारी नहीं होना था कि मृत्यु के 90 दिन के भीतर वारिसान को रेकार्ड लिया जाना आवश्यक है, इसलिए डिले को कण्डोन करते हुए अबेटमेंट निरस्त करते हुए मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया। और रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया कि गुलाब कंवर की सन् 2004 में मृत्यु हो गई इसलिए अपील अबेट हो गई है, इस तथ्य की जानकारी होने पर विधिक वारिसान को बुलवाया गया और पूछा तो इन्दर सिंह ने बताया कि उनका देहान्त तो बहुत पहले हो गया है। उन्हें पता नहीं था कि राजस्व मण्डल में कोई केस चल रहा है। सनवाड़ के किसी व्यक्ति ने बताया कि वकील साहब आपको बुला रहे है। इस पर वह वकील साहब के पास गया वकील साहब ने उस समय गुलाब कंवर के बारे में नहीं पूछा इसलिए गुलाब कंवर की मृत्यु के बारे में नहीं बताया। जानकारी के अभाव में भवानीसिंह के वारिसान के रूप में गुलाब कंवर का नाम बता दिया, अतः उसके आगे मृतक शब्द लिखा जावें। भवानीसिंह के वारिसान ही गुलाबकंवर के वारिसान है इसलिए मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावें और अबेटमेंट को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद मानकर डिले कण्डोन किया जावें। अपने तर्को के समर्थन में योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः— 1— ए0आई0आर0 1975 राज0 पेज 208 2— ए0आई0आर0 1985 एससी पेज 606 3— 2005 सीडीआर एससी पेज 176 4— सिविल टाईम्स 2018 (1) राज0 पेज 346 5— आर0बी0जे0 2003 पेज 623 6— आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 1081 7— आर0आर0टी0 2019 (1) पेज 668 8— सिविल टाईम्स 2018 (1) राज0 पेज 346 5— योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी ने प्रार्थनापत्र दिनांक 19—02—2020 किया है, वह मिथ्या व बेबुनियाद है, क्योंकि श्रीमति गुलाबकंवर अपने पति भवानीसिंह से 8 वर्ष पूर्व दिनांक 19—08—2004 को फौत हो गई थी, जिसका फौतगी रजिस्ट्रेशन कार्यालय नगरपालिका, फतेहनगर सनवाड़ में स्वंय अपीलार्थीगण ने दिनांक 23—08—2004 को करवाया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जवाब के साथ संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों अपीलार्थीगण फौत हो चुके है। उनका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिक्री/टीए/1508/2003/उदयपुर** **भवानीसिंह बनाम शेरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन था कि अपीलार्थीगण ने गुलाबकंवर को जीवित बताकर प्रा0 पत्र मय शपथपत्र झूठा पेश किया है, जो निरस्तनीय है। अपील अबेट हो चुकी है। अपीलार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 मिथ्या व भ्रामक है, अतः अस्वीकार योग्य है। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः— 1— 2010 आर0बी0जे0 628 (एससी) 2— 2012 आर0बी0जे0 पेज 540 3— 1999 आर0एल0डब्ल्यू (2) राज0 1358 (एचसी) 4— 1996 आर0बी0जे0 पेज 535 (एस0सी0) 6— अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 (17) 201 पेज 628 बलवंत सिंह बनाम जगदीश सिंह सिविल अपील सं0 1166/2006 में माननीय एस0 सी0 ने अन्य न्यायिक दृष्टांत **Ramlal and others vs. Rewa Coaifields ltd. Air 1962 sc 361** का विवेचन करते हुए यह उल्लेखित किया है किः— 'In construing Section 5 it is relevant to bear in mind two important considerations. The first consideration is that the expiration of the period of limitation prescribed for making an appeal gives rise to a right in favour of the decree holder to treat the decree as binding between the parties. In other words, when the period of limitation prescribed has expired the decree holder has obtained a benefit under the law of limitation to treat the decree as beyond challenges, and this legal right which has accrued to the decree holder by lapse of time should not be light heartedly disturbed. The other consideration which cannot be ignored is that if sufficient cause for execusing delay is shown discretion is given to the court to condone delay and admit the	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिक्री/टीए/1508/2003/उदयपुर** **भवानीसिंह बनाम शेरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	appeal. This discretion has been deliberately conferred on the court in order that judicial power and discretion in that behalf should be exercised to advance substantial justice..... It is however, necessary to emphasize that even after sufficient cause has been shown a party is not entitled to the condonation of delay in question as a matter of right. The proof of a sufficient cause is a condition precedent for the exercise of the discretionary jurisdiction vested in the court by section . If sufficient cause is not proved nothing further has to be done; the application for condoning delay has to be dismissed on that ground alone....." 7— भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी वाद अपील या आवेदन निर्धारित समयावधि के बाद पेश की जाती है तो वह खारिज किया जाएगा और भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कोई अपील या आवेदन समयावधि के बाद पेश किया जाता है तो आवेदनकर्ता न्यायालय की यह संतुष्टि करेगा कि वह पर्याप्त कारणों से ऐसी अपील या आवेदन समयावधि के अन्दर पेश नहीं कर सका और आदेश 22 नियम 9 सब क्लाज 3 सी0पी0सी0 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 5 के उपबन्ध उपनियम 2 के अधीन आवेदन पर लागू होगा और उस नियम 2 में मृतक का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति उपशमन अपास्त करवाने के लिए आवेदन कर सकेगा। आदेश 22 नियम 9 इस प्रकार हैः— <u>उपशमन या खारिज होने का प्रभावः</u>— **(1) जहां वाद का इस आदेश के अधीन उपशमन हो जाता है या वह खारिज किया जाता है वहां कोई भी नया वाद, उसी वाद हेतुक पर नहीं लाया जाएगा।** **(2) वादी या मृत वादी का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति या दिवालिया वादी की दशा**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिक्री/टीए/1508/2003/उदयपुर** **भवानीसिंह बनाम शेरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में उसका समनुदेशिती या रिसीवर, उपशमन या खारिजी अपास्त करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि वाद चालू रखने से वह किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो न्यायालय खर्चे के बारे में ऐसे निबन्धनों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे, उपशमन या खारिजी अपास्त करेगा। **(3) इण्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1877 (1877 का 15) की धारा 5 के उपबन्ध उपनियम (2) के अधीन आवेदन लागू होंगे।** अर्थात उपरोक्त सी0पी0सी0 व कानूनी प्रावधानों के मध्य यह स्पष्ट है कि आदेश 22 नियम 9 के प्रावधानों पर मियाद अधिनियम लागू होते है और यदि आवेदनकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि पर्याप्त कारण से सद्भावी रूप से वह अन्दर मियाद आवेदन नहीं कर सका तो, वह स्वीकार किया जा सकता है। 8— दोनो पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में भी साररूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवेदनकर्ता को प्रार्थनापत्र समय पर पेश नहीं करने के पर्याप्त कारण युक्तियुक्त कारण, सद्भाविक कारण से न्यायालय को सन्तुष्ट करना होगा कि वह ऐसा आवेदन नहीं कर सका था एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य **(True & correct)** होने चाहिए। यदि आवेदनकर्ता शुद्धहस्त से नहीं आया है जानबुझकर देरी करने की नियत से या भ्रामक तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश करता है या लापरवाही करता है तो ऐसा आवेदन स्वीकार किये जाने येाग्य नहीं होता है और लम्बे समय तक मुकदमेबाजी चलाना दूसरे पक्ष के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है और ना ही अनन्त समय के लिए मुकदमा वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं करने के कारण लम्बित रखा जा सकता है। कानून सोते हुए व्यक्ति की मदद नहीं करता। 9— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा दिनांक 19—02—20 के प्रा0 पत्र का जवाब आदेश 22 नियम 9 का दिनांक 13—01—21 को पेश किया गया उसमें गुलाब कंवर की मृत्यु दिनांक 19—08—2004 को होना बताया। अपीलार्थी के वारिसान की ओर से सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दिनांक 17—07—19 को पेश किया गया और मृत्यु की जानकारी से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र करना बताया । इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिकी/टीए/1508/2003/उदयपुर** **भवानीसिंह बनाम शेरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र में गुलाब कंवर को बतौर वारिस दर्ज नहीं किया गया केवल इन्दर सिंह, महेन्द्रसिंह व पुष्पा कंवर को वारिसान बताया है। इसके अलावा अन्य कोई वारिस का उल्लेख नहीं किया गया। डिले कण्डोन के प्रा0 पत्र दिनांक 19—02—2020 में अपीलार्थी के वारिसान ने प्रकरण की जानकारी दिनांक 15—07—19 को होना व उससे अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश करना बताया है जबकि दूसरे प्रा0 पत्र दिनांक 19—02—20 में भवानीसिंह के वारिसान व गुलाबकंवर को कानूनी जानकारी नहीं होना बताया व समय पर नाम कायमी हेतु कार्यवाही नहीं करना बताया है जबकि गुलाब कंवर तो शपथग्रहिता इन्दरसिंह की माता थी और उसे जानकारी थी कि उसकी माता का देहान्त हो चुका है, इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करने पर ही गुलाबकंवर के आगे मृतक शब्द लिखवाने का निवेदन किया है जो कि परस्पर विरोधाभासी तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए है। 10— अपीलार्थी भवानीसिंह की मृत्यु 2008 में हुई है इससे पूर्व उसके जीवनकाल में ही उसकी पत्नि गुलाबकंवर का देहान्त हो चुका था और भवानीसिंह को तो अपील लम्बित होने की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि अपील उसी के द्वारा पेश की हुई है फिर भी गुलाबकंवर की मृत्यु पर भवानीसिंह द्वारा अपने जीवन पर्याप्त उसके वारिसान को रिकार्ड पर लाने की कोई कार्यवाही नहीं की और जो व्यक्ति उपखण्ड अधिकारी कोर्ट से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक मुकदमों मे अपील दर अपील कर रहा है उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं हो, मानने योग्य नहीं है और 2004 से 2008 तक गुलाब कंवर के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया। 11— प्रार्थना पत्र दिनांक 27—01—21 में यह अंकित किया है कि भवानीसिंह के वारिसान को किसी व्यक्ति को भेजकर बुलवाया गया तो उन्होंने आकर दिनांक 18—08—20 को बताया कि भवानीसिंह का देहान्त हो चुका है और 19—08—20 को नामकायमी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें गुलाब कंवर का नाम जानकारी के अभाव में अंकित कर दिया, यह तथ्य भी पूर्व प्रा0 पत्र दिनांक 17—07—19 से भिन्न है। क्योंकि दिनांक 17—07—19 को ही भवानीसिंह की मृत्यु का तथ्य अभिलेख पर आ चुका है तो 18—08—20 को भवानीसिंह की मृत्यु की जानकारी का कथन भ्रामक है। फिर यह कथन किया कि किसी व्यक्ति को भेजकर बुलवाया तो किस ने बुलाया व किस को बुलाया और कब बुलाया, इसके बारे में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिक्री/टीए/1508/2003/उदयपुर** **भवानीसिंह बनाम शेरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कोई स्पष्ट नहीं है। फिर आगे कथन किया कि इस केस के बारे में पहली बार सनवाड़ के किसी व्यक्ति ने हमें बताया और वकील साहब ने भवानीसिंह के वारिस के बारे में पूछा। गुलाब कंवर के बारे में नहीं पूछा इसलिए नहीं बताया। उक्त समस्त तथ्य मात्र मनगढंत व अवधि बढ़ाने का प्रयास मात्र है। 12— प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में देरी को निरस्त (डिले कण्डोन) करने का कारण यह बताया है कि ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है और मुकदमें की जानकारी नहीं है, भ्रामक आधार है। भवानीसिंह अपीलार्थी था उसे मुकदमें का पूर्ण ज्ञान था। प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए है वे सही, सत्य तथ्य प्रतीत नहीं होते है एवं सद्भावी कारण प्रकट नहीं होता है। बल्कि बनावटी है, तथ्यों को छिपाते हुए परस्पर विरोधाभासी तथ्य अंकित करते हुए उक्त पांचो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए है। अस्पष्ट व भ्रामक तथ्यों के आधार पर अबेटमेंट निरस्त करने व लगभग 16—17 वर्ष की देरी को निरस्त करने का (डिले कण्डोन) पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर0बी0जे0 (17) 2010 पेज 628 के पैरा 17 में उल्लेख है किया हैः— "On an anaylysis of the above, we now revert to the merits of the application in hand. As already noticed, except for a vague averment that the legal representatives were not aware of the pendency of the appeal before this Court, there is no other justifiable reason stated in the one page application. We have already held that the application does not contai correct and true facts. Thus, want of bona fides is imputable to the applicant. There is noe reason or sufficient cause whown as to what steps were taken during this period and why immediate steps were not taken by the applicant, even after they admittedly came to know of the pendency of the appeal before this Court, It is the abnormal conduct on the part of the applicants, particularly Har-Inder Singh, who had appeared as AW4 in the trial and was fully aware of the proceedings, but still did not inform the counsel of the death of	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिक्री/टीए/1508/2003/उदयपुर** **भवानीसिंह बनाम शेरसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	his father. The cumultive effect of all these circumstances is that the applicants have miserbly failed in showing any 'sufficient cause' for condonation of delay of 778 days in filling the application in question." 13— अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त पांचों प्रार्थनापत्र खारिज किए जाते है और परिणामस्वरूप अपील अबेट हो जाने के कारण खारिज की जाती है। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें। आदेश सुनाया गया। (गणेश कुमार) सदस्य (हरीशंकर गोयल) सदस्य	